तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-3-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 26-4-18 को पेश हों।	
26-4-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13-7-18 को पेश हों।	
13-7-18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पुन बहस एक पक्षीय सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 20-7-18 को पेश हो	
20-7-18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वाद वादीगण खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

वाद सं. 24 / दावा / 12 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक– 19.04.2012

उनवान

1. हंसराज आयु 35 वर्ष आत्मज कन्हैया जाति मीणा निवासी आमली खेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज।
2. श्रीमति राजवन्ती उर्फ राजी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नि श्री रामकेश जाति मीणा निवासी रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राज।
3. श्रीमति चन्द्री बाई उर्फ चन्द्र बाई आयु 27 वर्ष पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नि श्री रामकेश जाति मीणा निवासी रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज।
4. श्रीमति मोरपाली उर्फ मोरी आयु 65 वर्ष बेवा श्री कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी आमली खेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज.।
5. श्री भागचन्द आयु 30 वर्ष आत्मज श्री मौजीराम जाति मीणा निवासी आमली खेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
6. श्री रूपचन्द आयु 25 वर्ष आत्मज श्री मौजीराम जाति मीणा निवासी आमली खेड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज.।
7. श्रीमति संतोष बाई आयु 20 पुत्री मौजीराम जाति मीणा निवासी आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज.।
8. श्रीमति किसकन्दा आयु 60 वर्ष आत्मज श्री गोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
9. श्री राजाराम आयु 60 वर्ष आत्मज श्री गोपाल जाति मीणा निवासी आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज.।
10. रामफूल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गोपाल जाति मीणा निवासी आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज.।

–वादीगण

बनाम

1. श्री रामकल्याण बालिग आत्मज श्री नामालूम जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज.।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ जिला बून्दी , राज.।

निर्णय

दिनांक–20.07.18

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जर्ये अधिवक्ता इस न्यायालय में वाद खातेदारी अधिकार घोषणा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 40 की कृषि भूमि ख. सं. 217 रकबा 2.22 है. ग्राम आमली खेड़ा पटवार क्षेत्र बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा वादीगण का नाम जेली दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम आमली खेड़ा सम्वत् 2064 से 2067 संलग्न है।

कृषि भूमि के सेटलमेंट के पूर्व के पुराने खसरा नं. 96 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा थे जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम माफीदार के रूप में दर्ज था तथा वादीगण 1 लगायत 8 के पूर्वज व वादीगण 9 व 10 के पिता श्री गोपाल वल्द रामरतन मीणा का नाम जेली दर्ज था। उक्त कृषि भूमि पहले माफी पुण्यार्थ में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज थी। माफीदार का उक्त कृषि भूमि पर सन् 1950 के पूर्व से ही कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के पूर्वज श्री गोपाल आत्मज रामरतन मीणा के कब्जे काश्त में रही है तथा वादीगण 9 व 10 के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा है।

कृषि भूमि का लगान वादीगण सं. 9 व 10 के पिता श्री गोपाल जी माफीदारान को अदा करता आ रहा तथा उक्त कृषि भूमि पर सब टेनेन्ट के रूप में अधिकार पूर्वक काश्त करता रहा तथा वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण अधिकारपूर्वक काश्त करता चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में पूर्व में वादीगण के पिता श्री गोपाल जी का नाम जेली काश्तकार के रूप में दर्ज रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम जेली काश्तकार के रूप मे दर्ज है तथा वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पिता श्री गोपाल व उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का करीब 50 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से टिनेन्ट के रूप में कब्जा काश्त चला आ रहा है। पहल माफीदारान को दिनांक 01.07.1958 को उक्त माफी रिज्यूम होने के बाद में प्रतिवादी सं. 2 भूमिधारी स्टेट को लगान आदि अदा करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से चला आ रहा होने के कारण वादीगण (by operation of law anf priscription of law)के आधार (by long terms possession) के आधार पर खातेदार काश्तकार बन गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[illegible]

[illegible] 01.07.1958 को उक्त भूमि पर माफी रिज्यून होने के समय भी माफीदारान का वास्तविक कब्जा नहीं था इस कारण उक्त भूमि को माफीदारान के नाम से हटकर खाता सरकार दर्ज कर लिया गया वक्त रिज्यूम माफी उक्त भूमि पर वादीगण के पिता श्री गोपाल का कब्जा था तथा वादीगण के पिता ही उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जे में थे। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है। इस कारण वादीगण का नाम रिज्यूम्शन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार के रूप में तत्सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिए था लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का नाम अभी तक भी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। जबकि वादीगण माफी रिज्यूभ होने के समय से अब तक निरन्तर निर्बाध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी स्टेट को लगान की अदायगी करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य टिनेन्ट व भूमिधारी के सम्बन्ध स्थापित हो गये है। वादीगण उक्त भूमि का कानूनी प्रावधानो के अनुसार माफी रिज्यूम के समय से खातेदार काश्तकार बन गये है।

वादीगण का कब्जा उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय भी निरन्तर रहा है, व भूमि सम्बन्धित रिकार्ड ऑफ राइड्स में वादीगण के पिता का नाम जेली काश्तकार के रूप में दर्ज था तथा वास्तविक कब्जा वादीगण का ही रहा है। इस कारण सम्वत् 2012 में वादीगण के पिता श्री गोपाल उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने से वादीगण कानूनन उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बन गये है तथा सन् 1969 में राजस्थान काश्तकारी कानून में हुए संशोधन के आधार पर भी धारा 19(1) ए. ए. राजस्थान टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बन गये है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वज उक्त भूमि के खातेदार नहीं थे बल्कि माफीदार थे माफी रिज्यूम हो जाने से उनके हक हकूक समाप्त हो गये है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है किवह अपने को उक्त वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व भूअभिलेख में अंकित को विलोपित करवावें। वादीगण ने इस हेतु कई बार प्रतिवादी भूमिधारी स्टेट के अधीनस्थ कर्मचारियों से अनुननय विनय किया कि वह वादीगण का नाम उक्त भूमि सम्बन्धित रिकार्ड ऑफ राइट्स में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज कर दे लेकिन प्रतिवादी सं. 2 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादीगण कि कोई सुनवाई नहीं की गई और अभी तक भी उक्त भूमि को वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

काश्तकारी के [illegible]
प्रतिवादी सं. 1 का नाम [illegible] अभिलेखों में [illegible]
वादीगण का नाम उक्त भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में कोटा रियासत में भी
रूप में दर्ज चला आ रहा है। इन्द्रगढ़ तहसील पूर्व में [illegible] सम्वत 3 के
तथा कोटा रियासत के तत् संबंधी प्रचलित कानून [illegible] इस प्रकार वादीगण जैली
अनुसार जैली के हैसियत एक सबटीनेंट की है। इस प्रकार वादीगण जैली
काश्त सबटीनेंट के रूप में राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से अभी
तक उक्त भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है
और वैधानिक रूप से उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है।
वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 ए के अनुसार
अधिनियम के पूर्व खुद काश्त हॉल्डर के टीनेंट के रूप में व काश्तकारी
अधिनियम के लागू होने के बाद सबटीनेंट के रूप में विवादित भूमि के
कब्जे में रहे है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की इच्छाओं के विपरीत कब्जे में
नही रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी वादीगण को बेदखल नहीं करवाया
वादीगण राजस्थान टीनेंसी एक्ट संशोधित 1979 की धारा 19 काश्तकारी
अधिनियम में किये गये संशोधनानुसार धारा 19 (1ए.ए.) में निर्धारित तिथि
31.12.1969 को भूमि पर बतौर उप कृषक काबिज रहे है व लगान अदा
किया है। वादीगण विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने
का अधिकारी है।
प्रतिवादी संख्या 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा
वादी का नाम उक्त भूमि सम्बन्धि राजस्व अभिलेख में बावजूद के कई तलब
तकाजे किये दर्ज नहीं करने के बाद वादीगण ने मई सन् 2011 में राजस्व
अभियान के दरमियान में भी प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त भूमि पर वादीगण
का नाम राजस्व भू अभिलेखों में खातेदार कृषक घोषित कृषक के रूप में
दर्ज नहीं किया गया यही वाद कारण है। जो प्रतिवादीगण के प्रति उत्पन्न
हुआ और निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बाद तामील
अनुपस्थित रहने से दिनांक 2.11.12 को पकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी
गयी। प्रतिवादी सं. 1 की रजिस्टर्ड AD से तामील के आदेश दिये गये बाद
तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.03.14 को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र के
समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य बतौर सबूत नकल जमाबंदी सम्वत 2023–2026
ग्राम आमलीखेडा प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2027–2030 प्रदर्श 2
नकल जमाबंदी सम्वत 2064 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत
2064–2067 प्रदर्श 4, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आमलीखेडा प्रदर्श 5, नकल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[illegible]
[illegible]
pw2, मूलचन्द pw3, प्रकाश pw4 के बयान [illegible] पेश किया गया।

नियत पेशी पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी पर पिछले 50 वर्षों से वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट के पूर्व खसरा नं. 96 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा थे जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम माफीदार के रूप में दर्ज था तथा गोपाल वल्द रामरतन मीणा का नाम जेली दर्ज था। वाद विषयक आराजी माफी पुण्यार्थ में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी। माफीदार का सन 1950 से पूर्व से ही कब्जा नही रहा। गोपाल वल्द रामरतन मीणा पहले माफीदारान को व दिनांक 1.07.1958 को माफी रिज्यूम होने के बाद भूमिधारी स्टेट को लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जा आर. टी. एक्ट लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है अतः वादीगण by long term possession के आधार पर खातेदार बन गये है।

माफी रिज्यूम के समय भी माफीदारान का कब्जा नही था। इस कारण माफीदारान के नाम से हटाकर खाता सरकार दर्ज कर लिया गया। वक्त रिज्यूम माफी भूमि पर वादीगण के पिता गोपाल का कब्जा था।

जागीर रिज्यूमशन एक्ट 1952 के तहत खातेदार काश्तकार के रूप में तत्समय राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिए था। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के मध्य काश्तकार व भूमिधारी के सम्बन्ध स्थापित हो गये है।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नजीरे RRD Aug 2013 page 367 to 376 RRD 1987 page 97-102 RRD 1987 page 375-376, RRD 1989 page 756-759, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 19 पेश की।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पेश की गई नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा उपअभिधारी subtenant होने के आधार पर धारा 19 कक के तहत खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गयी है।

माफी की भूमि पर अपना कब्जा उपअभिधारी के रूप में बताया है। वादीगण को जमाबंदी में जैली अभिलिखित है। वाद विषयक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आराजी पर माफीदार का स्वयं का कब्जा नहीं है अतः वादीगण की स्थिति उस व्यक्ति की है जो बिना प्राधिकार के भूमि पर बैठा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अधीन केवल खुदकाश्त के अभिधारी या उपअभिधारी खातेदार अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही पात्र है। ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम की प्रवृत होने की दिनांक 15.10.1955 सवंत 2012 के वार्षिक रजिस्टर में खुदकाश्त का अभिधारी या उपअभिधारी दर्ज होना या दर्ज नही था लेकिन उक्त दिनांक को खुदकाश्त अभिधारी या उपअभिधारी था।

इस प्रकार इस धारा के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोदभूत होने के पहले व्यक्ति को यह दर्शित करना होगा कि वह इस अधिनियम के प्रवृत होने के समय अधिकार अभिलेख में एक उपअभिधारी के रूप में अंकित है।

साथ ही यह भी देखना होगा कि वह भूमि धारा 46 में वर्णित व्यक्तियों में से किसी की भूमि तो नही है। इस प्रकरण में ऐसा साक्ष्य रिकार्ड पर नही आया है जिससे यह जाहिर होता है कि विवादित भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण या गोपाल आत्मज रतना द्वारा अदा किया जाता था। कब से वादीगण जैली के रूप में कब्जा काश्त है। कितना लगान किस रूप में वादीगण द्वारा जागीर एक्ट 1959 से पूर्व दिया जाता था। किसी प्रकार की लगान रसीदे वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी है।

भूतपूर्व कोटा राज्य में सही रूप से जैली अंकित व्यक्ति को ही subtenant समझा जावेगा। संवत 2012 महत्वपूर्ण है। इस संवत का कोई साक्ष्य नही है।

प्रतिवादी सं. 1 को माफी पूण्यार्थ में मिली लेकिन इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य नही है कि कब माफी मिली। किसी जागीरदार से मिली या किसी मंदिर मूर्ति का पुजारी होने से। इस बाबत राज काश्तकारी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची जागीर भूमि की भू धृतिया में कम सं. 15 में माफी कम सं. 40 में पूण्यार्थ दर्ज है।

विवादित आराजी माफी पूण्यार्थ में मिली लेकिन सम्वत 2027 –2030 की जमाबंदी में खाता सरकार दर्ज है, माफीदार का नाम नही है। इसी प्रकार सम्वत 2023–2026 की जमाबंदी में भी खाता सरकार दर्ज है, माफीदार का नाम नहीं है।

माफी पूण्यार्थ में स्पष्ट रूप से भूमि का मालिक कौन था यह दर्ज नही है। जागीरदार से मिली या किसी मंदिर की माफी थी इस बाबत न तो कोई साक्ष्य पेश किया गया है ना ही मौखिक साक्ष्य में यह स्थिति स्पष्ट है। प्रकरण मंदिर की भूमि से है या जागीर भूमि से स्पष्ट नहीं। केवल वर्तमान रिकार्ड में रामकल्याण ब्राह्मण को ही माफीदार वादपत्र

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

की चरण सं. 2 में कहा गया है। साथ ही माफीदारान को लगान अदा करने का कथन किया है लेकिन इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया।

सम्वत 2035–2038 की जमाबंदी में माफी साशनिक रिज्यूम 01.07.58 लिखा है फिर रामकल्याण ब्राह्मण दर्ज है। लेकिन इससे पहले की पेश जमाबंदी संवत 2023–2026 व संवत 2027–2030 में खाता सरकार दर्ज है।

खाता सिवायचक सरकारी भूमि घोषित है। जैली दर्ज होने मात्र से वादीगण भूमिधारी से काश्तकार होने का संबंध स्थापित हो गया है बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। वर्तमान में भी जमाबंदी संवत 2064–2067 में रामकल्याण ब्राह्मण का नाम दर्ज है। रामकल्याण ब्राह्मण की स्थिति वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार की है। साथ ही बाद में प्रतिवादी सं. 1 रामकल्याण की वल्दीयत भी नहीं दी गई है। अतः वादी का वाद साक्ष्य का मोहताज है अतः उक्त विवेचनों पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Aद्धिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, Rr 6,7)
(civil Procedure Code, Appendix D)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S.

1. हंसराज आ. कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ वगैरह वादीगण P.T.O.

बनाम 1. रामकल्याण पुत्र नामालूम जाति ब्राह्मण निवासी आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ प्रतिवादीगण

दावा बावत 88, 89, 19 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 24/दावा/12 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-7-2018 माह ....

सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. राजवन्ती उर्फ राजीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी रामकेश जाति मीणा निवासी रावल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. चन्द्रीबाई उर्फ चन्द्रबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी रावल त॰ व जिला सवाईमाधोपुर
4. मोरपाली उर्फ मोरी बेवा कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा
5. भागचन्द आ॰ मोजीराम जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़
6. रूपचन्द आ॰ मोजीराम ―― " ―― " ―― "
7. सन्तोषबाई पुत्री मोजीराम ―― " ―― " ―― "
8 किशनकन्दा बेवा मोजीराम ―― " ―― " ―― "
9. रजाराम आ॰ गोपाल जाति मीणा निवासी आमली खेड़ा त॰ इन्द्रगढ़
10. रामफूल आ॰ गोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा त॰ इन्द्रगढ़

वादीगण -

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)